[2021] 2 एस.सी.आर 94

वन संरक्षक एवं अभिरक्षक एवं अन्य

बनाम

शोभा जॉन कोशी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 414/2021)

10 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971। 8 – उत्तरदाताओं ने वन न्यायाधिकरण में यू/आवेदन दायर किया एस. 8 यह घोषणा करने के लिए कि भूमि निहित वन नहीं थी–अस्वीकृत

अंततः, उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भूमि सरकार में निहित नहीं है। हालाँकि, उत्तरदाताओं को भूमि बहाल नहीं की जा सकी–बाद में यह निर्णय लिया गया कि भूमि की बहाली के बजाय, मुआवजा दिया जाए

जिन भूमि मालिकों की भूमि बहाल नहीं की जा सकी, उन्हें भुगतान किया जाए–उत्तरदाताओं द्वारा सहमति–उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित याचिका कि या तो उन्हें मूल भूमि बहाल की जा सकती है या जिला तहसीलदार द्वारा मूल्यांकन के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है–एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत–लिखित अपील खारिज–आयोजितः विषय भूमि पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि है और अब सरकार के पास निहित है। – एस के अनुसार। 8 , 2003 भूमि के संबंध में अधिनियम जो सरकार में निहित है। यू / धारा 3 (1), 2003 अधिनियम, कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है–लेकिन भूमि पर उत्तरदाताओं द्वारा खोए गए अधिकार के तहत

2003 अधिनियम 2003 के अधिनियम से पहले भूमि के कब्जे और उपज का आनंद लेने के उनके अधिकार को समाप्त नहीं करेगा, जो अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था– उत्तरदाताओं को अधिकार है

तहसीलदार द्वारा संगणित और एकल न्यायाधीश–केरल वन (पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि का निवेश और प्रबंधन) अधिनियम, 2003 के निर्णय में उल्लिखित भूमि के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक मुआवजा। 2 (ख), 3,4,8।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह निर्विवाद है कि विषय भूमि, जिसे अधिनियम, 1971 के तहत सरकार के पास निहित होने का दावा किया गया था, को अंततः स्वीकार नहीं किया गया था और केरल उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों की आपत्ति को यह घोषित करते हुए स्वीकार कर लिया कि भूमि अधिनियम, 1971 के तहत नहीं आती है और इसे अधिनियम, 1971 से छूट दी गई है। वन

न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। फैसले का परिणाम तीन अलग–अलग स्थानों पर वैकल्पिक भूमि के आवंटन सहित वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। वैकल्पिक भूमि का आवंटन संभव नहीं था जैसा कि वन अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था। संभागीय वन अधिकारी ने वन संरक्षक को सूचित किया था कि मालिकों ने सुझाव दिया है कि वे भूमि के लिए मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय ने सूचित किया कि जिला कलेक्टर, वायनाड के तहसीलदार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जहाँ तहसीलदार ने मूल्यांकन किया है भूमि का मूल्य रु। 1000 / – 1976 के ओ. ए. सं. 67 द्वारा कवर किया गया प्रतिशत और रु. 800 / – 1975 के ओ. ए. No.68 द्वारा आच्छादित भूमि का प्रतिशत। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने तहसीलदार द्वारा गणना के अनुसार मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाली रिट याचिका को मंजूरी दे दी। [पैरा 7,8] [100–एफ–जी; 101–बी–डी]

1.2 धारा 2 (बी), केरल वन (पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि का निहित और प्रबंधन) अधिनियम, 2003 के तहत " पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि को परिभाषित किया गया है। धारा 3 के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि सरकार में निहित है। खंड 4

आगे सरकार को पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि घोषित करने का अधिकार देता है। वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि 12.03.2007 पर प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से विषय भूमि को पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए पहले ही एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। द.

दिनांकित अधिसूचना 12.03.2007 चुनौती के अधीन नहीं है। प्रत्यर्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो वे अधिनियम, 2003 के अधिकारों की वैधता को चुनौती दे रहे हैं और न ही वे दिनांकित 12.03.2007 अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार, यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि विषय भूमि पारिस्थितिक रूप से नाजुक है और अब सरकार में निहित है। अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, भूमि के संबंध में, जो अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के तहत सरकार में निहित है, कोई मुआवजा देय नहीं है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां उत्तरदाताओं का दावा किसी पर आधारित नहीं है

अधिनियम, 2003 के तहत मुआवजा। एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1971 के तहत निर्णय के मद्देनजर प्रतिवादियों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, जहां यह लंबे समय तक मुकदमेबाजी के बाद माना गया था कि भूमि अधिनियम, 1971 और प्रतिवादियों के अंतर्गत नहीं आती है। भूमि के स्वामी हैं, जो उत्तरदाताओं को अधिकार की बहाली के हकदार हैं। राज्य के संरक्षक होने के नाते कब्जा बहाल करने में सक्षम नहीं होने के कारण, वन अधिकारी द्वारा स्वयं दो विकल्प सुझाए गए थे, पहला, वैकल्पिक भूमि के आवंटन का और दूसरा मुआवजे के भुगतान के लिए। उपरोक्त संदर्भ में जमीन का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया गया था। एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को कब्जा बहाल करने में सक्षम नहीं होने के लिए एक विकल्प के रूप में मुआवजे का निर्देश दिया। उसी भूमि को अधिनियम, 2003 के तहत पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि घोषित किया गया है, अधिनियम, 2003 की धारा 3 के कारण भूमि पर उत्तरदाताओं का अधिकार और हक समाप्त हो गया है। लेकिन अधिनियम, 2003 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा खोए गए भूमि पर अधिकार किसी भी तरह से 2003 के अधिनियम से पहले की अवधि के दौरान भूमि के कब्जे और उपज का

आनंद लेने के उनके अधिकार को समाप्त नहीं करेगा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित निर्णय के अनुसार स्थापित किया गया था। राज्य के दावे के कारण कि अधीन भूमि निहित है

सरकार अधिनियम, 1971 के तहत, प्रत्यर्थियों को भूमि के कब्जे और आनंद से वंचित कर दिया गया था। 1971 के बाद, उन्हें संपत्ति के कब्जे से बाहर रखा गया और भूमि के आनंद से वंचित कर दिया गया। यह उचित और उचित है कि भले ही उत्तरदाताओं को भूमि के मूल्य के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, उन्हें होना चाहिए

जिस अवधि के लिए भूमि से उत्पन्न लाभों के लिए क्षतिपूर्ति की गई थी, उसे प्रत्यर्थियों की कार्रवाई द्वारा कब्जे से बाहर रखा गया था, इसे अधिनियम, 1971 के तहत निहित भूमि माना गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन नहीं मिला था। [पारस 9–12] [101–D–E; 102–A–H; 103–A–B]

1.3 जिस अवधि के दौरान उत्तरदाताओं को अधिकार के आनंद से वंचित किया गया था, उस अवधि के दौरान भूमि से होने वाले लाभों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में मुकदमा कम से कम पिछले 45 वर्षों से जारी है और वर्तमान मामले के तथ्यों में, पक्षों को उस भूमि के लाभों के संबंध में मुआवजे के निर्धारण के लिए किसी अन्य मंच पर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसके वे उस अवधि के दौरान हकदार थे जब वे कब्जे से वंचित थे। तहसीलदार द्वारा संगणित और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में उल्लिखित भूमि के मूल्य के 50 प्रतिशत तक के मुआवजे के दावे की अनुमति देकर न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसले को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

2007 के डब्ल्यू. ए. सं. 1757 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से पल्लव शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। मेसर्स के लिए सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, कुरियाकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, सूर्य प्रकाश, सुश्री सोहिनी चौधरी। के. एम. एन. पी. कानून, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील वन संरक्षक और संरक्षक और अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा डिवीजन के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है

केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया। रिट अपील अपीलार्थियों द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश के दिनांक 19.01.2007 के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं, अपीलार्थियों को रिट याचिकाकर्ताओं को भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय द्वारा उन्हें बहाल किया जाए।

3. इस अपील को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 केरल राज्य के वायनाड में पन्नू घाटी में स्थित अन्य भूमि के साथ जो भूमि इस अपील का विषय है, उसे कहा गया था

केरल निजी वन (वेस्टिंग एंड असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 (इसके बाद "अधिनियम, 1971" के रूप में संदर्भित) के तहत सरकार में निहित। अपने पूर्ववर्ती के साथ प्रतिवादियों ने अधिनियम, 1971 की धारा 8 के तहत वन न्यायाधिकरण में यह घोषणा करने के लिए आवेदन दायर किया कि भूमि निहित वन नहीं थी।

3.2 वन न्यायाधिकरण ने दावे को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया, उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया। लंबे मुकदमेबाजी के बाद, अंततः

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर एम. एफ. ए. को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और यह घोषित किया गया था कि प्रश्नों में भूमि को [2021] 2 एस. सी. आर. के प्रावधानों से छूट दी गई है।

अधिनियम, 1971। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि रिट याचिकाकर्ताओं ने खेती को साबित किया और इस क्षेत्र में वृक्षारोपण और फसल के साथ खेती की गई थी। वन न्यायाधिकरण के फैसले को यह घोषित करते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित तिथि पर भूमि सरकार में निहित नहीं है।

3.3 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद, यह अनिवार्य था

भूमि के अधिकार को बहाल करने के लिए संरक्षक पर। भूमि के कई अन्य क्षेत्रों की बहाली जो एम. एफ. ए. का विषय थे उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 का <आई. डी. 2 मालिकों को दिया गया था, लेकिन भूमि, जो 1995 के ओ. ए. No.67 और 1995 के ओ. ए. संख्या 68 की विषय वस्तु थी, को किसी न किसी कारण से बहाल नहीं किया जा सका।

3.4 भूमि के एक हिस्से पर आदिवासियों का कब्जा था, जो नहीं कर सकते थे

प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उत्तरदाताओं को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने के लिए, जिसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। प्रतिवादी ने कहा कि संभागीय वन अधिकारी ने सिफारिश की कि भूमि की बहाली के बजाय, उन भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाए जिनकी भूमि को बहाल नहीं किया जा सका है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उनका समझौता।

3.5 उत्तरदाताओं द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 3340 दायर की गई थी।

केरल उच्च न्यायालय में। रिट याचिका में, यह प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन भूमि का मूल्यांकन तहसीलदार मनंतवाडी ने मूल्य की सिफारिश करते हुए किया था ओ. ए. में शामिल भूमि का 1,000/- प्रतिशत और ओ. ए. में शामिल भूमि का 50 प्रतिशत। रिट याचिका में, रिट याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि या तो उन्हें मूल भूमि बहाल की जा सकती है या उन्हें जिला तहसीलदार द्वारा मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा दिया जा सकता है। विद्वान।

एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। फैसले के पैराग्राफ 6 में, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

.....इन विकासों को देखते हुए, मैं

राय है कि जहाँ तक उत्तरदाताओं को बहाल करने में सक्षम नहीं हैं इस न्यायालय के फैसले के अनुपालन में भूमि, याचिकाकर्ताओं निश्चित रूप से भूमि के लिए मुआवजे के हकदार हैं, जो होना है उन्हें पुनर्स्थापित करें। अब जब तहसीलदार ने मूल्य का आकलन कर लिया है क्षेत्र में भूमि के बाजार मूल्य के लिए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त के अनुसार तहसीलदार द्वारा मूल्यांकन किया गया।

तदनुसार, प्रत्यर्थियों को पुनर्स्थापित की जाने वाली भूमि के लिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा

उन्हें एक्सट के अनुसार। ओ. ए. सं. द्वारा आच्छादित भूमि के संबंध में इस न्यायालय का पी1 निर्णय। 67 और अतिरिक्त के अनुसार तहसीलदार द्वारा निर्धारित दरों पर 1975 का 68। पी10। उपरोक्त गणना की गई राशि इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर संबंधित याचिकाकर्ताओं को वितरित की जाएगी।

रिट याचिका की अनुमति ऊपर दी गई है। ”

3.6 वन संरक्षक और अन्य राज्य प्राधिकरण

इससे पहले 2007 की रिट अपील No.1757 दायर किए गए फैसले से व्यथित

केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ। डिवीजन बेंच ने रिट अपील को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि अधिनियम, 1971 की धारा 8 के तहत, संरक्षक का आदेश के आधार पर ऐसी भूमि के कब्जे को बहाल करने का वैधानिक कर्तव्य था, जो ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है। ऐसा मानते हुए, रिट अपील को खारिज कर दिया गया। वन संरक्षक और अन्य राज्य उत्तरदाताओं ने यह दायर किया है

डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली अपील।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शीशोदिया ने प्रस्तुत किया कि धारा 8 (2) के तहत, विवादित सभी भूमि केरल वन (पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि का निहित और प्रबंधन) अधिनियम, 2003 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 2003" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अर्थ के भीतर एक पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत दिनांक 1 की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके तहत उक्त भूमि राज्य में निहित है, जिसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम, 2003 की धारा 8 (2) का उल्लेख किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि के सरकार को निहित करने या धारा 3 की

उप धारा (1) के तहत मालिक या उस पर किसी भी व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित को समाप्त करने के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा। उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 12.03.2007 अधिसूचना को कोई चुनौती नहीं होने के कारण, धारा 8 (2) के तहत राज्य द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2003 के अधिनियम से पहले, अध्यादेश जारी किया गया था जिसका नाम था केरल वन (वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ

पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि) अध्यादेश, 2000। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आदिवासी विकास प्रवर्तक समिति द्वारा दायर 2000 के ओपी संख्या 30181 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.12.2000 के अंतरिम आदेश के आधार पर, प्रतिवादियों को कब्जा नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम, 2003 के तहत निहित करने को कोई चुनौती नहीं होने के कारण, एकल न्यायाधीश को मुआवजे के भुगतान के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता था।

5. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री कुरियाकोस वर्गीज ने विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का खंडन किया

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि अधिकार का अधिकार एक स्पष्ट अधिकार है। जब राज्य के लिए भूमि पर कब्जा कर रहे आदिवासियों को बेदखल करना असंभव हो गया, तो उत्तरदाताओं के पास अपनी मूल्यवान भूमि के बदले मुआवजे को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। गैर–बहाली की क्रिया

राज्य द्वारा भूमि की राशि अधिनियम, 1971 की धारा 8 (3) के अंतर्गत थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय ने सही मान्यता दी है

उत्तरदाताओं का वैध अधिकार। प्रत्यर्थियों के अधिनियम, 2003 के समय से पहले होने के पक्ष में उच्च न्यायालय का दिनांक 1 का निर्णय, प्रत्यर्थियों के वैध और न्यायसंगत मुआवजे के दावे को अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, भले ही अधिसूचना दिनांक 19.01.2007 को 12.03.2007 पर प्रकाशित किया गया हो, वैध रूप से पारित किया गया हो, लेकिन यह अधिसूचना को बदल नहीं सकता है।

अधिनियम, 2003 की धारा 2 (बी) (आई) में दिया गया है। भूमि एक नाजुक भूमि नहीं है, बल्कि यह भूमि थी, जिसकी खेती इलायची और काली मिर्च के साथ की जाती थी। ज़मीन. जो खेती के तहत है, वह वन भूमि के रूप में योग्य नहीं होगी और इसलिए, धारा 2 (बी) (आई) के तहत पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि के रूप में घोषित नहीं की जा सकती थी। संरक्षक ने धारा 8 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है

अधिनियम, 1971,45 वर्ष की अवधि के लिए अपनी संपत्ति के आनंद के लिए अपीलार्थी के सही दावे से इनकार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तहसीलदार द्वारा दिए गए मुआवजे का मूल्यांकन भी एक मामूली मुआवजा था। 6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. ऊपर देखे गए तथ्यों से यह निर्विवाद है कि विषय भूमि, जिसके बारे में अधिनियम के तहत सरकार के पास निहित होने का दावा किया गया था,

1971 अंततः स्वीकार नहीं किया गया और केरल उच्च न्यायालय ने अनुमति दी

भूमि मालिकों की यह घोषणा करने पर आपत्ति कि भूमि अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नहीं आती है और इसे अधिनियम, 1971 से छूट दी गई है। फैसले के पैराग्राफ 18 में, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" 18. XXXXXXXXXXXXXXXX ..... उन्होंने दलील दी है और साबित किया है कि विचाराधीन भूमि 1971 के अधिनियम 26 के प्रावधानों से मुक्त है।

फॉरेस्ट का संरक्षक और ग्राहक v. शोभा जॉन कोशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उन्होंने खेती को साबित कर दिया है और यह कि वृक्षारोपण फसलों के साथ खेती किया जाने वाला क्षेत्र वन नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने साबित किया है

निश्चित रूप से नियत दिन के रूप में उनका मामला।

8. वन न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। उच्च न्यायालय के फैसले का परिणाम यह था कि प्रतिवादी इसके हकदार थे

उनकी भूमि की तत्काल बहाली। इसके अलावा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थियों को भूमि बहाल नहीं की जा सकी और तीन अलग-अलग स्थानों पर वैकल्पिक भूमि के आवंटन सहित कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। वैकल्पिक भूमि का आवंटन संभव नहीं था जैसा कि था

वन अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया। संभागीय वन अधिकारी ने वन संरक्षक को सूचित किया था कि मालिकों ने सुझाव दिया है कि वे भूमि के लिए मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय ने

जानकारी दी गई कि जिला कलेक्टर, वायनाड के तहसीलदार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जहाँ तहसीलदार ने भूमि की कीमत रु। 1000 / - 1976 के ओ. ए. सं. 67 द्वारा कवर किया गया प्रतिशत और रु. 800 / - 1975 के ओ. ए. No.68 द्वारा आच्छादित भूमि का प्रतिशत। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, इस प्रकार, तहसीलदार द्वारा गणना के अनुसार मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाली रिट याचिका को अनुमति दी।

9. अब हमें अधीन भूमि के परिणाम पर विचार करने की आवश्यकता है।

अधिनियम, 2003 के तहत अधिसूचित किया जा रहा है। धारा 2 (बी) के तहत, "पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि" को परिभाषित किया गया है। धारा 3 के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि सरकार में निहित है। धारा 3 इस प्रकार हैः

" 3. पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि सरकार को सौंपी जाएगीः – (1) उस समय के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी प्रथा, अनुबंध या अन्य दस्तावेजों में किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित सभी पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि या उन पर किसी अन्य प्रकार के अधिकार का स्वामित्व और कब्जा सभी बाधाओं और मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित से मुक्त सरकार को हस्तांतरित और निहित किया जाएगा।

उक्त तिथि से समाप्त हो जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के तहत सरकार में निहित भूमि को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और मालिक को संरक्षक द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और अधिसूचना को अवलोकन के लिए धारा 15 के तहत गठित सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा।

10. धारा 4 सरकार को पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि घोषित करने का अधिकार देती है। वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि विषय भूमि को अधिसूचित करते हुए एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि 12.03.2007 पर प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से। हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि विषय भूमि पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि नहीं है और वन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है

अधिनियम, 2003 के तहत भूमि, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिसूचना दिनांक 12.03.2007 चुनौती के तहत नहीं है, हमें इस प्रश्न पर आगे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन कार्यवाहियों में, प्रत्यर्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो वे अधिनियम, 2003 की वैधता को चुनौती दे रहे हैं और न ही वे दिनांकित अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार हम

यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि विषय भूमि पारिस्थितिक रूप से नाजुक है और अब सरकार में निहित है।

11. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह कहना भी सही है कि भूमि के संबंध में अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार,

जो अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के तहत सरकार में निहित है, कोई मुआवजा देय नहीं है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें उत्तरदाताओं का दावा अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी मुआवजे पर आधारित नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

अधिनियम, 1971 के तहत निर्णय को देखते हुए जहां यह लंबे समय तक मुकदमेबाजी के बाद अभिनिर्धारित किया गया था कि भूमि अधिनियम, 1971 के दायरे में नहीं आती है और प्रतिवादी भूमि के मालिक हैं, जो भूमि पर अधिकार की बहाली के हकदार हैं।

उत्तरदाताओं। राज्य का संरक्षक होने के नाते कब्जा बहाल करने में सक्षम नहीं होने के कारण वन अधिकारी ने दो विकल्प सुझाए थे

स्वयं, पहला, वैकल्पिक भूमि के आवंटन और दूसरा मुआवजे के भुगतान के लिए। उपरोक्त संदर्भ में जमीन का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया गया था।

12. यह भी ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने क्षतिपूर्ति को बहाल करने में सक्षम नहीं होने के विकल्प के रूप में मुआवजे का निर्देश दिया

उत्तरदाताओं को अधिकार। उसी भूमि को अधिनियम, 2003 के तहत पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि घोषित किया गया है, अधिनियम, 2003 की धारा 3 को देखते हुए भूमि के लिए उत्तरदाताओं का अधिकार और हक खो जाता है जैसा कि ऊपर निकाला गया है। लेकिन अधिनियम, 2003 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा खोए गए भूमि पर अधिकार किसी भी तरह से 2003 के अधिनियम से पहले की अवधि के दौरान भूमि के कब्जे और उपज का आनंद लेने के उनके अधिकार को समाप्त नहीं करेगा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के फैसले के अनुसार स्थापित किया गया था जैसा कि ऊपर देखा गया है। राज्य के इस दावे के कारण कि अधिनियम, 1971 के तहत सरकार के अधीन भूमि निहित है, उत्तरदाता वन v के संरक्षक और ग्राहक थे।

भूमि के अधिकार और आनंद से वंचित। 1971 के बाद, उन्हें संपत्ति के कब्जे से बाहर रखा गया और भूमि के आनंद से वंचित कर दिया गया। यह न्यायसंगत और उचित है कि भले ही प्रत्यर्थियों को भूमि के मूल्य के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, उन्हें उस अवधि के लिए भूमि से उत्पन्न लाभों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए जब उन्हें प्रत्यर्थियों की कार्रवाई द्वारा कब्जे से बाहर रखा गया था, इसे अधिनियम, 1971 के तहत निहित भूमि माना जाता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन नहीं मिला था।

13. पक्षकारों के विद्वान वकील से हमारी पूछताछ पर, कि क्या भूमि से उत्पन्न उपज और लाभों की गणना निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री है, दोनों वकीलों ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उस अवधि के दौरान भूमि से होने वाले लाभों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है जब उत्तरदाताओं को अधिकार के आनंद से वंचित किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त भूमि के संबंध में मुकदमा कम से कम पिछले 45 वर्षों से जारी है।

वर्ष और हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, पक्षों को उस भूमि के लाभों के संबंध में मुआवजे के निर्धारण के लिए किसी अन्य मंच पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके वे उस अवधि के दौरान हकदार थे जब वे कब्जे से वंचित थे।

14. हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को अनुमति देकर पूरा किया जाना चाहिए।

तहसीलदार द्वारा संगणित और विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय में उल्लिखित भूमि के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक उत्तरदाताओं को मुआवजे का दावा। हम, इस प्रकार, जमीन के मूल्य के रूप में तहसीलदार द्वारा गणना किए गए मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से उत्तरदाताओं को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करते हैं जो उत्तरदाताओं को देय होगा। द.

विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच का निर्णय

केरल उच्च न्यायालय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। हम निर्देश देते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांकित निर्णय में दिए गए मुआवजे का 50 प्रतिशत आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं को दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर उत्तरदाता 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

आंशिक

रूप से अपील की अनुमति

दिव्या पांडे